भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2728
दिनांक 05 अगस्त, 2025/14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

दोहरी नागरिकता

†2728. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विदेशी नागरिकता रखने वाले भारतीय प्रवासियों, विशेष रुप से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों के संपर्क को सुद्दढ़ बनाने के लिए अन्य देशों द्वारा दी गई दोहरी नागरिकता के मॉडलों का अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) ढांचे का विस्तार करके उसमें संपत्ति अधिकार, मताधिकार या पूर्व भारतीय नागरिकों के लिए पुनः नागरिकता प्राप्त करने की सरल प्रक्रियाएं शामिल करने के पक्ष में है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और 11 के प्रावधान, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के साथ मिलकर दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देते हैं।

(ग) नहीं महोदय। मौजूदा ओसीआई ढांचे का विस्तार करने और उसमें संपत्ति के अधिकार, मताधिकार या पूर्व भारतीय नागरिकों के लिए सरलीकृत पुनःदेशियकरण मार्ग शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

****